

अपील क्रमांक 193/बो.प्र./नि.स./2023
कार्यालय प्रमुख अभियंता (बोधी प्रकोष्ठ)
जल संसाधन विभाग,
शिवनाथ भवन, सेक्टर-19,
अटल नगर, नवा रायपुर

दिनांक / 10 / 2023

अपील प्रकरण क्रमांक 193/बो.प्र./नि.स./2023

अपीलार्थी

Meena Pandey,
No. 229&230, First Floor,
Chouhan Plaza, Shastri Nagar,
Bhilai (C.G.), Pin-490023,
Cell No. 9770311808

उत्तरवादी

श्री ए.के. साय,
जनसूचना अधिकारी, कार्यालय प्रमुख
अभियंता, जल संसाधन विभाग,
नवा रायपुर (छ.ग.)

विरुद्ध

आदेश दिनांक 05.10.2023

1. आवेदिका/अपीलार्थी मीना पाण्डेय अनुपस्थित।
2. जनसूचना अधिकारी श्री ए.के. साय उपस्थित।
3. प्रकरण संक्षेप :-

(i) आवेदिका/अपीलार्थी ने सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत The Method and Procedure for the Allocation and all the Checkes of withdrawal-Consumption of Water, for the Thermal Power Plants in Chhattisgarh के संबंध में जानकारी प्राप्त करने हेतु दिनांक 09.05.2023 को आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया था, जो इस कार्यालय का आवक क्रमांक 480 दिनांक 11.05.2023 को प्राप्त हुआ।

(ii) जनसूचना अधिकारी द्वारा अधोहस्ताक्षरकर्ता को प्रस्तुत पत्र में उल्लेख किया गया है कि आवेदिका का आवेदन पत्र दिनांक 11.05.2023 को प्राप्त हुआ। वांछित जानकारी हेतु नस्ती तकनीकी कक्ष को दिनांक 16.05.2023 को प्रस्तुत किया गया। नस्ती तकनीकी कक्ष से दिनांक 24.05.2023 को इस टीप के साथ प्राप्त हुई कि वांछित जानकारी 308 पृष्ठों की है। उक्त टीप के आधार पर अपीलार्थी को शुल्क जमा करने हेतु कार्यालयीन पत्र क्र. 4112275/65/छ.ग./2023/4591, दिनांक 25.05.2023 को पंजीकृत डाक से पत्र द्वारा सूचित किया गया।

(iii) आवेदिका/अपीलार्थी ने उल्लेख किया गया है कि जनसूचना अधिकारी द्वारा सही जानकारी नहीं दिये जाने के कारण आवेदिका द्वारा असंतुष्ट होकर दिनांक 06.09.2023 द्वारा अवर सचिव/प्रथम अपीलीय अधिकारी, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय नवा रायपुर के नाम से आवेदन प्रस्तुत किया था, प्रकरण इस कार्यालय से संबंधित होने के कारण शासन की ओर से इस कार्यालय में दिनांक 22.09.2023 को प्रथम अपीलीय अधिकारी को प्राप्त हुआ। प्रकरण की सुनवाई दिनांक 05.10.2023 को समय दोपहर 12.30 बजे अधोहस्ताक्षरकर्ता के कक्ष क्र. SA-9, कार्यालय प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, शिवनाथ भवन, नवा रायपुर में निर्धारित किया गया। इसमें उपस्थित होने बाबत अपीलार्थी को सूचित किया गया।

4. सुनवाई दिनांक 05.10.2023 को आवेदिका/अपीलार्थी अनुपस्थित रही। अपीलार्थी द्वारा अपने अपीलीय प्रकरण में उल्लेख किया है कि जनसूचना अधिकारी द्वारा प्रदान की गई 308 पृष्ठों की जानकारी, मेरे द्वारा मांगी गई जानकारी से भिन्न है। इसलिए जमा की गई शुल्क वापस किये जाने हेतु अनुरोध की गई है।

5. जनसूचना अधिकारी द्वारा आज दिनांक 05.10.2023 को सुनवाई में उपस्थित होकर बताया गया कि आवेदिका/अपीलार्थी का आवेदन पत्र आवक क्र. 480, दिनांक 11.05.2023 को प्राप्त हुआ। वांछित जानकारी हेतु

नस्ती तकनीकी कक्ष को दिनांक 16.05.2023 को प्रस्तुत किया गया। नस्ती तकनीकी कक्ष से दिनांक 24.05.202 को इस टीप के साथ प्राप्त हुई कि वांछित जानकारी 308 पृष्ठों की है। उक्त टीप के आधार पर अपीलार्थी को शुल्क जमा करने हेतु कार्यालयीन पत्र क्र. 4112275/65/छ.ग./2023/4591, दिनांक 25.05.2023 को पंजीकृत डाक से पत्र द्वारा सूचित किया गया। तत्पश्चात अपीलार्थी द्वारा दिनांक 27.07.2023 को राशि रु. 616/- (रु. छः सौ सोलह मात्र) चालान के माध्यम से जमा करने पर उन्हें इस कार्यालय के पत्र क्र. 4112275/65/छ.ग./2023/7743, दिनांक 22.08.2023 को पंजीकृत डाक से 308 पृष्ठों की वांछित जानकारी प्रदान की गई।

6. (i) जनसूचना अधिकारी ने नियत अवधि से पूर्व आवेदिका/अपीलार्थी को विस्तृत रूप से सूचित किया था।
(ii) आवेदिका/अपीलार्थी को यह स्पष्ट किया जा चुका था कि संबंधित कक्ष से प्राप्त टीप अनुसार कार्यालयीन पत्र क्र. 4112275/65/छ.ग./2023/4591, दिनांक 25.05.2023 द्वारा आवेदिका/अपीलार्थी को पंजीकृत डाक से सूचित किया गया। तत्पश्चात अपीलार्थी द्वारा दिनांक 27.07.2023 को राशि रु. 616/- (रु. छः सौ सोलह मात्र) चालान के माध्यम से जमा करने पर उन्हें इस कार्यालय के पत्र क्र. 4112275/65/छ.ग./2023/7743, दिनांक 22.08.2023 को पंजीकृत डाक से 308 पृष्ठों की वांछित जानकारी प्रदान की गई। जनसूचना अधिकारी ने बताया गया कि दी गई जानकारी आवेदन के अनुरूप है।
(iii) आवेदिका/अपीलार्थी ने जानकारी सही नहीं देने से असंतुष्ट होकर दिनांक 06.09.2023 द्वारा अवर सचिव/प्रथम अपीलीय अधिकारी, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय नवा रायपुर के नाम से आवेदन प्रस्तुत किया था, जो इस कार्यालय में दिनांक 22.09.2023 को प्रथम अपीलीय अधिकारी को प्राप्त हुआ। प्रकरण की सुनवाई दिनांक 05.10.2023 को समय दोपहर 12.30 बजे अधोहस्ताक्षरकर्ता के कक्ष क्र. SA-9, कार्यालय प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, शिवनाथ भवन, नवा रायपुर में निर्धारित किया गया। जिसमें आवेदिका/अपीलार्थी अनुपस्थित रही।

7. जनसूचना अधिकारी ने नियत समय सूचना, निर्धारित अवधि में दी थी। जनसूचना अधिकारी द्वारा आवेदिका/अपीलार्थी को संबंधित कक्ष से प्राप्त टीप अनुसार कार्यालयीन पत्र क्र. 7743, दिनांक 22.08.2023 द्वारा वांछित जानकारी 308 पृष्ठों की आवेदिका/अपीलार्थी को पंजीकृत डाक द्वारा प्रदान किया गया। उपरोक्त तथ्यों के आधार पर निर्णय लिया गया कि जनसूचना अधिकारी ने नियमानुसार निर्धारित अवधि में कार्य किया है। अतः अपील निराकृत।

इस आदेश की प्रति संबंधित पक्षों को निःशुल्क प्रदान की जाती है। इस आदेश से असंतुष्ट पक्ष, इस आदेश के विरुद्ध 90 दिनों के भीतर छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग, नार्थ ब्लॉक, सेक्टर-19, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला रायपुर (छ.ग.) पिन 492002 के कार्यालय में द्वितीय अपील प्रस्तुत कर सकते हैं।


(सी.पी. जैन)

प्रथम अपीलीय अधिकारी,
कार्यालय प्रमुख अभियंता,
जल संसाधन विभाग,
नवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग.)

पृ.क्रं./193/बो.प्र./नि.स./2023/9278

रायपुर, दिनांक 06/10/2023

प्रतिलिपि:-

1. अधीक्षण अभियंता, एम.आई.एस., कार्यालय प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, शिवनाथ भवन, नवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित। कृपया उक्त आदेश को विभाग के वेबसाईट (RTI) में अपलोड कराने का कष्ट करें।
2. श्री ए.के. साय, जनसूचना अधिकारी, कार्यालय प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, शिवनाथ भवन, नवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
3. Meena Pandey, No. 229&230, First Floor, Chouhan Plaza, Shastri Nagar, Bhilai (C.G.), Pin-490023 की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

(सी.पी. जैन)

प्रथम अपीलीय अधिकारी,
कार्यालय प्रमुख अभियंता,
जल संसाधन विभाग,
नवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग.)